

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224578
SG-DL-E-20012021-224578

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2021/पौष 29, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 281
No. 21]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2021/PAUSHA 29, 1942	[N. C. T. D. No. 281

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

फा.स. 809/टी०ओ०(एस०)/टी० सी०-फेलिंग/19.20 / 8255.63.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वाई.ए.पी. III (पैकेज-ओ.) नई दिल्ली ओखला में डी०बी० ओ० बेसिस पर बी० ओ०डी०-10 मिलीग्राम/ लिटर] टी०एस०एस०-103 मिलीग्राम/ लिटर या बेहतर और पावर जनरेशन के एफ्लडेंट स्टैंडर्ड के साथ 564 एम०एल०डी० 124 एम०जी०डी०) अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 42,492 हेक्टेयर (105 एकड़) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती।

स्थान	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	काटे जाने वाले	प्रत्यारोपण हेतु	योग	
(1)	(2)			(3)
वाई॰ए॰पी॰-III (पैकेज-ओ॰), नई दिल्ली ओखला में डी॰बी॰ ओ॰ बेसिस पर बी॰ ओ॰डी॰-10 मिलीग्राम/ लिटर, टी॰एस॰एस॰.103 मिलीग्राम/ लिटर या बेहतर और पावर जनरेशन के एफ्लडेंट स्टैंडर्ड के साथ 564 एम॰एल॰डी॰ 124 एम॰जी॰डी॰) अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु।	391	18	409	4090
योग	391	18	409	4090

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. दिल्ली जल बोर्ड, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 2,33,13,000/- रुपये (दो करोड़ तैंतीस लाख तेरह हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (409 वृक्षों को काटने/प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षों का दस गुना (अर्थात् 4090 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का परियोजना क्षेत्र ओखला प्लांट, नई दिल्ली प्लांट के उत्तर पूर्व दिशा की परिधि में किया जाएगा।	4090	2,33,13,000/-	उप- वन संरक्षक (दक्षिण)/ वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 18 वृक्षों का प्रत्यारोपण परियोजना स्थल में उपलब्ध भूमि पर किया जाएगा।			

2. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 4090 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।
3. 409 वृक्षों को काटे/ प्रत्यारोपण जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 4090 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उपभोगी संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा।
4. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
5. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
6. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिये आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
7. वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।
8. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
9. उपभोगी संस्था द्वारा 409 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध होगा।

10. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
11. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को दी जानी जाएगी।
12. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से डुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
13. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाए।
14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
15. उपभोगी संस्था के द्वारा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 19th January, 2021

F.No.R.809/TO(S)/TC-Felling/19-20/ 8255-63:- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 42.492 ha. (105 Acres) as detailed below for construction of 564 MLD (124 MGD) WWTP with Effluent Standard of BOD-10 Mg/l, tss-103 mg/l or better and Power Generation on DBO Basis at Okhla under YAP-III (Package-O), New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees to be			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
	Felling	Transplantation	Total	
(1)	(2)			(3)
Construction of 564 MLD (124 MGD) WWTP with Effluent Standard of BOD-10 Mg/l, tss-103 mg/l or better and Power Generation on DBO Basis at okhla under YAP-III (Package-O), New Delhi.	391	18	409	4090
Total	391	18	409	4090

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Delhi Jal Board, herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 2,33,13,000 /- (Rupees Two Crore Thirty Three Lakh Thirteen Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplanting of 409 trees i.e number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar etc. alongwith other native species shall be carried out by User Agency, in the periphery at the North east side of the plant/ project area at Okhla Plant, New Delhi.	4090	2,33,13,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 18 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in the project site itself.			

2. 100% Compensatory Plantation of 4090 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.
3. Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal/ transplantation of 409 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
4. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
5. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
6. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
7. Permission for felling/ transplantation of all trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
8. Before the felling/ transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
9. Felling/ transplantation of any trees apart from 409 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
10. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
11. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.
12. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.
13. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.
14. Progress report of transplantation shall be submitted to Tree Officer by User Agency through inspection officer concerned along with complete details of trees.
15. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

By order and in the name of the
Government of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)